

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 579/18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. बिलकन तोपनो वो 2. समडोम तोपनो - विक्रेता  
सुसाना गुडिया - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
14.09.19	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक 1. बिलकन तोपनो पिता स्व0 खिस्तोचित तोपनो वो 2. समडोम तोपनो पिता स्व0 मार्शल तोपनो ग्राम-दियांकेल बडुर टोली, पोस्ट-तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने सुसाना गुडिया पति इलियस गुडिया ग्राम-लोहाजिमी, पोस्ट-दुमंगदीरी, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="284 763 1366 862"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दियांकेल</td> <td>51</td> <td>17</td> <td>2202</td> <td>0.12</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0236819674 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 805 दिनांक 04.09.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम जैमशी महतो वगैराह है। पंजी II के अनुसार जैमशी महतो वगैराह के नाम भूमि का रकबा 27.08 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 4.54 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 10804.00(दस हजार आठ सौ चार) रू0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 4.42 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. बिलकन तोपनो पिता स्व0 खिस्तोचित तोपनो वो 2. समडोम तोपनो पिता स्व0 मार्शल तोपनो को सुसाना गुडिया पति इलियस गुडिया के साथ ग्राम दियांकेल के खाता सं0 17 खेसरा संख्या 2202 कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 10804.00(दस हजार आठ सौ चार) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">3/9/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;">3/9/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)	दियांकेल	51	17	2202	0.12	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)								
दियांकेल	51	17	2202	0.12								